फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

बांकाराम वगैराह बनाम भूरी वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम संख्या 215/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-11-2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बायतू के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.02.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.08.2022 को स्वीकार करते हुए वर्तमान अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 के द्वारा निरस्त करने का आदेश पारित किया है इसलिये वर्तमान अपील में अपीलार्थी की इस्तदुआ शेष नहीं है तथा अपील प्रभावहीन हो चुकी है। रिव्यू आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। अतः उपरोक्त अपील पत्रावली को प्रभावहीन होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश 25.08.2020 एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी के पेश किये प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2024 के अनुसार चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2020 को रिव्यू करते हुए दिनांक 17.08.2022 को खारिज किया जा चुका है। ऐसे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2024 को स्वीकार किया जाकर इस अपील को और विचाराधीन नहीं रखते हुए तथा अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील निरस्त/खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावें। संभागीय आयुक्त जोधपुर	

न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर